Governments agreed to discuss technical, commercial and other issues relating to the sale of electricity by Pakistan to India.

Some of the States of the Northern region face substantial shortage in peak and energy demand which cannot be fully met from interna' sources. Therefore, in order to meet, partly, the deficit in the Northern Region, the possibility of import of power from neighbouring countries is being explored. During the discussions, Government of Pakistan confirmed availability of 300 MW of power which can be supplied to India in the next 10 years, which could be augmented upto 600 MW during certain period of the year depending up technical limits of the system on either side. The additional power will improve the grid availability as well as the voltage profile in the Northern Region.

पाकिस्तान से विद्युत खरीदने के लिए वार्ताएं

277. **लाला लाजपत राय** :

श्री जनेश्वर मिश्र :

कुमारी निर्मला देशपांडेय :

श्री सुरेश कलमाडी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत की खरीद के लिये जनवरी में नई दिल्ली में पाकिस्तान के साथ कोई सरकारी स्तर की वार्ताए हुई थी,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और उसके क्या परिणाम निकले हैं,

(ग) पाकिस्तान कितने मैगावाट विद्युत की आपूर्ति करने के लिए सहमत हुआ हैं और उसकी दर क्या हैं, और

(घ) यह आपूर्ति कब तक शुरू होगी, उस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी, इससे किन-किन राज्यों को लाभ होगा और क्या पाकिस्ता विद्युत की आपूर्ति अपनी घरेलू दरों पर करेगा तथा क्या उस पर राज्य सहाकता उपलब्ध कराई जाएगी ?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य और गैर-अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी. आर. कुमार मंलगम) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) विचार-विमर्श के दूसरे दौर में पाकिस्तान ने अगले दस वर्षों के लिए भारत को निर्यात 300 मे. वा. क्षमता की उपलब्धता की पुष्टि की हैं जिसे दोनों ओर से प्रणाली की तकनीकी सीमा के आधार पर कुछ समयावधियों के दौरान उपलब्ध के अनुसार 600 मे. वा. तक बढ़ाया जा सकता हैं । विद्युत के क्रय हेतु टैरिफ दरों और प्रचालन समझौतों के निर्धारण के लिए, विधि निश्चित करने पर चर्चा हुई । यद्यपि इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया हैं । पाकिस्तान से आयात की जाने वाली प्रस्तावित विद्युत से उत्तरी क्षेत्र के राज्य लाभान्वित होंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इसे कमी वाले अन्य क्षेत्रों में अतंरित किया जा सकता हैं ।

नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना

278. **श्री गोविन्दराम मिरी** :नया विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1999-2000 के दौरान देश में नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु हाल ही में कोई निर्णय लिया गया हैं,

(ख) इन परियोजनाओं को किन-किन राज्यों में स्थापित करने के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई हैं,

(ग) क्या सरकार ने इसके लिए निली उपक्रमों को भी निवेश हेतु आमंत्रित किया हैं, और

(घ) इस प्रयोजनार्थ वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सरकार की योजनाएं क्या हैं ?

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री : (श्री पी. आर. कुमारमंगलम) : (क) से (घ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में जिन परियोजनाओं को वर्ष 1999-2000 के दौरान क्षमता

अभिवृद्धि हेतु लक्षित किया गया हैं वे नीचे दी गई हैं :-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संगठन	क्षमता (मे. वा.)	क्षेत्र
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी	हरियाणा/एनटीपीसी	2 x 143	केन्द्रीय
2.	(जीटी-1 और जीटी-2) ऊंचाहार टीपीपी यू-2	उ. प्र./एनटीपीसी	210	केन्द्रीय
3.	विन्ध्याचल टीपीपी यू-8	म. प्र./एनटीपीसी	500	केन्द्रीय
4.	काययमुलम सीसीजीटी	केरल/एनटीपीसी	119.4	केन्द्रीय
5.	संजय गांधी विस्तार	म. प्र./ण्मवीईबी	210	राज्य
6.	रायचूर टीपीएस चरण-3 यूनिट-6	कर्नाटक/केपीसीएल	210	राज्य
7.	कोझीकोड यू-1 से 8 में डीजी विद्युत केन्द्र	केरल/केएसईबी	128	राज्य
8.	लीमाकोंग डीजी यूनिट-1 से 6	मणिपुर	36	राज्य
9.	बक्रेश्वर टीपीसी यू-1 वि. 2	प. बंगाल/डब्ल्यूबीपीडीसीएल	2 x 210	राज्य
10.	सूरत लिग्राइट यू-2	गुजरात/जीआईपीसीएल	125	निजी क्षेत्र
11.	तोरांगल्लू यू-र	कर्नाटक/जिन्दल	130	निजी क्षेत्र
12.	कोचीन सीसीजीटी जीटी 2 और 3 एसटी	केरल/बीएसईएस	2 x 45 x 38	निजी क्षेत्र
जल विद्युत				
13.	दोयांग	नागालैंड/नीपको	50	केन्द्रीय
14.	रंगित-3	सिक्किम/एनएचपीसी	40	केन्द्रीय
15.	सेवा-3	जे. एंड के.	9	राज्य
16.	चेनानी-3	जे. एंड के.	7.5	राज्य
17.	रंजीत सागर	पंजाब	300	राज्य
18.	राजघाट	म. प्र.	45	राज्य
19.	दूधगंगा	महाराष्ट्र	12	राज्य
20.	कोयना चरण-4	महाराष्ट्र	500	राज्य
21.	सिंगुर	आ. प्र.	15	राज्य
22.	काकड़	केरल	50	राज्य
23.	काली नदी-2	कर्नाटक	40	राज्य
24.	पार्सन वैली	तमिलनाडु	30	राज्य
25.	ऊपरी इन्द्रवती	उड़ीसा	300	राज्य
26.	तीस्ता नदी प्रपात	पश्चिम बंगाल	22.5	राज्य

*जहां तक राज्य और केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं का संबंध हैं संबंधित सरकारों द्वारा निधियों का आवश्यक आबंटन किया जाता हैं। निजी क्षेत्र परियोजनाओं के संबंधित प्राधिकरणों को विभिन्न वित्तीय संस्थानों/स्वयं के संसाधनों से निधियों का प्रबंध करना होगा।